संख्या-7/2020/32/30-3-20-6बी/2014

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2020

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-08-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1626स०सु०/2019-09स०सु०/2018, दिनांक 01-11-2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26-02-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़क सुरक्षा कोष (पूंजीगत मद) में मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू० 991.10 लाख के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों में दो पहिया एवं हल्के मोटरयान हेतु लाइसेंस संबंधी इनडोर परीक्षण हेतु सिमुलेटर लगाये जाने तथा 06 बड़े शहरों में भारी मोटरयान हेतु सिमुलेटर लगाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-32/2019/1268/30-3-19-06बी/2014, दिनांक 03-06-2019 द्वारा धनराशि रू० 800.00 लाख (रू० आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के पश्चात कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-08-2019 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में दो पहिया एवं हल्के मोटरयान हेतु लाइसेंस संबंधी इनडोर परीक्षण हेतु सिमुलेटर लगाये जाने तथा 06 बड़े शहरों में भारी मोटरयान हेतु सिमुलेटर लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत धनराशि रू० 800.00 के शासनादेश संख्या-32/2019/1268/30-3-19-06बी/2014, दिनांक 03-06-2019 को एतद्वारा निरस्त किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की 4500 बसों में रू० 7000/- प्रति बस की लागत से जनहित में स्पीड गवर्नर लगाये जाने हेतु कुल धनराशि रू० 315.00 लाख (रू० तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-219-231/2019, दिनांक 22-03-2019 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उपरोक्त के संबंध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूंजीगत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारियों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2020/ 32(1)/30-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्याल, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।